न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 112/2017

1 महेन्द्र कुमार पुत्र श्री शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी मावता, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
2 कैलाशचन्द्र पुत्र शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी मावता तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
3 ताराचन्द्र पुत्र शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी मावता तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.06.2017
उनवानी मुकदमा राज्य सरकार बनाम पतासी देवी वगै. मु.नं. 09/2017 प्रार्थना पत्र धारा 177 आर.टी.ए. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री अभिषेक शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 24.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा 09/2017 में पारित निर्णय दिनांक 05.06.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में तहसीलदार उदयपुरवाटी ने ग्राम मावता पटवार हल्का जहाज की भूमि खसरा नम्बर 487 में अवैध बजरी खनन का अंकन कर धारा 177 का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। पत्रावली वकालतनामा प्रस्तुत करने के उपरांत जवाब हेतु नियत थी। विचारण

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय ने बिना किसी विधिक प्रकिया की पालना किये, जवाब प्राप्त किये बिना, साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, बहस सुने बिना पत्रावली कैम्प में रखकर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं हैं। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार की रिपोर्ट से बजरी का अवैध खनन किया जाना प्रमाणित है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी इसकी पुष्टि होती है। विचारण न्यायालय ने कृषि भूमि पर अवैध खनन किये जाने पर धारा 177 के तहत आवेदन स्वीकार करने मे कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील मियाद बाहर है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। पत्रावली वकालतनामा प्रस्तुत करने के उपरांत जवाब हेतु नियत थी। विचारण न्यायालय ने बिना किसी विधिक प्रकिया की पालना किये, जवाब प्राप्त किये बिना, साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, बहस सुने बिना पत्रावली कैम्प में रखकर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं हैं। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

24

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर